प्राधिकार के वह अपनी आंखें दान नहीं कर सकता ? मैं मांग करता हूँ कि खण्ड तीन में ऐसा समुचित संशोधन किया जाना चाहिए । जिससे कोई व्यक्ति मृत्यु पश्चात् अपनी आंख दान करना चाहे तो उसके लिए वह मौखिक या लिखित घोषणा कर सके ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह एक बहुत अच्छा विधेयक है, जिससे सरकार को नेत्र बैंक खोलने में सहायता मिलेगी, और देश के अन्धे लोगों को लाभ होगा । इस विधेयक को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक ही सीमित न करके इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए । मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पास किया जाय ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) । अध्यक्ष महोदय, यह जो नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक यहां उपस्थित किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया के मुल्कों के मुकाबले सबसे ज्यादा अन्धे लोग हैं । लोग अन्धे किस प्रकार होते हैं, इसके बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी दी है कि कुपोषण की वजह से,.....

अध्यक्ष महोदय : आप जरा रुकिये, प्रधान मंत्री स्टेटमेंट करेंगी ।

लेबनान की स्थिति के बारे में वक्तव्य

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या आप बाद में स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देंगे ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं नहीं समझती की किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा भी करने जा रहे हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर वक्तव्य देने जा रही हूं, जिसको कि संसार के काफी देशों, जिसमें अमेरिका के लोगों और जैसा कि हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, स्वयं इजराइल को भी हिला दिया है । पिछले सप्ताह हमारे लिए तीव्र व्यथा के रहे हैं । मैं सदन को बताना चाहती हूं कि, हमने अपनी ओर से हर सम्भव प्रयत्न किए हैं । मैंने व्यक्तिगत रूप से कई राज्यों के प्रमुखों को इस बारे में लिखा है, जिनमें राष्ट्रपति रीगन, राष्ट्रपति ब्रेजनेव, राष्ट्रपति मितरां आदि शामिल हैं । राजनयिक माध्यमों और यहां पर आने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से हम इस मामले को उठाते रहे हैं । यह सदन जानता है कि यह एक दुखद स्थिति है और हमारे लिए तथा हमारे मित्रों के लिए खतरनाक है । जिन आदर्शों के लिए हम लड़ते रहे, वही खतरे में हैं ।

अब मैं वक्तव्य पढ़ती हूं।

लेबनान पर इजराइल के बिना वजह आक्रमण और हजारों की तादाद में लेबनानी तथा फिलिस्तीनी नागरिकों की बर्बरतापूर्ण हत्या से समूचे विश्व समुदाय को गहरा दुःख हुआ है और उत्तेजना फैल गई है। इजराइल की यह कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय विधि और व्यवहार के सभी सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन है। यह उस घमण्ड का सूचक है जिसने दूसरे राष्ट्रों और लोगों के अधिकारों के प्रति घोर असम्मान दिखाया है।

6 जून के आक्रमण के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आक्रमण के परिणामस्वरूप अधिकृत प्रदेश को खाली करवाने के लिए जो भी प्रयत्न किए हैं, उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इजराइल संयम से काम लेने के सभी परामर्शों की निरन्तर अवहेलना कर रहा है। उसने सुरक्षा परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्पों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में पारित संकल्पों की घोर अवहेलना की है।

पश्चिमी बेरूत पर इजराइल की नाकेबन्दी और मजबूत की जा रही है। वहां के लाखों लोगों को पानी, बिजली, खाद्य पदार्थ और चिकित्सा सुविधा जैसी अनिवार्य जरूरतों से वंचित रखा जा रहा है। समूची नागरिक आबादी भूख से मर रही है। इस वक्त जैसा कि युद्ध विराम है, वह बहुत ही अस्थिर और अनिश्चित है। समूचे बेरूत को भी नष्ट किया जा सकता है और वहां की समूची आबादी को समाप्त किया जा सकता है। शक्ति का ऐसा अनियंत्रित प्रयोग पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के नियमों और सिद्धान्तों के विपरीत है। इजराइल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मत की इस तरह तिरस्कारपूर्ण अवहेलना, उसका निरन्तर आक्रमण करते रहना और अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैनिक साधनों का उपयोग करना भविष्य के लिए एक बहुत बुरी मिसाल बन जाएगी।

एक ऐसे समय में जबकि फिलिस्तीनी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ प्रगति की आशा नजर आ रही थी, इजराइल ने इस समस्या की ओर भड़काना श्रेयस्कर समझा है और इस तरह उसने संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिम एशियाई क्षेत्र के दीर्घकालिक स्थायित्व की सम्भावनाओं को कुंठित कर दिया है। फिलिस्तीनी आन्दोलन को पूरी तरह खत्म कर देने की इजराइल की कोशिशें अन्ततः सफल नहीं हो सकती। फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं पर आधारित एक लोकप्रिय आन्दोलन को हथियारों का प्रयोग करके समाप्त नहीं किया जा सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी लोकप्रिय आन्दोलनों को फौजी ताकत से खत्म करने की कोशिश की गई है, नाकामयाबी ही मिली है। इजराइल के लिए यही एक नेक सलाह होगी कि वह संसार के सभी देश निरन्तर जो अधिकाधिक चिन्ता अभिव्यक्त कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे जिसमें उसके अपने भी हजारों लोग शामिल हैं और जिन्होंने लेबनान पर आक्रमण के विरुद्ध प्रदर्शन किया है।

अपनी सरकार की ओर से मैं ऐसे सभी राष्ट्रों से, जो इजराइल पर प्रभाव डालने की स्थिति में हैं, अनुरोध करेंगी कि पश्चिमी बेरूत की घेराबंदी को खत्म कराने के लिए और उसकी फौजों को अपने प्रदेश में वापस जाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इस तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के बाद एक ऐसे न्यायोचित, व्यापक और अस्थायी समाधान की दिशा में बातचीत अवश्य

शुरू की जाए जो सभी सम्बद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो। ऐसा जो भी समाधान हो, उसमें लेबनान की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता और उसकी प्रादेशिक अखण्डता का और फिलिस्तीनी लोगों के अविच्छेद्य अधिकारों का सुनिश्चय अवश्य रहना चाहिए जिसमें एक स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य की स्थापना का उनका अधिकार भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप एक स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति अवश्य दें.....

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं होगा। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने मांग की थी कि बम्बई में स्थित वाणिज्य दूतावास के कार्यालय को बन्द किया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इजराइली वाणिज्य दूतावास के कार्यालय को बन्द किया जाना चाहिए.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम वक्तव्य चाहते हैं कि भारत भूमि को.....के खिलाफ जहरीले प्रचार के लिए प्रयोग न किया जाएगा.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। अब श्री व्यास।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। बिना मेरी आज्ञा के कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

मैंने श्री व्यास को अपना भाषण जारी रखने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही यह निश्चित कर चुके हैं कि विदेश मंत्रालय पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम इस चर्चा को जारी करने जा रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए। सिर्फ श्री गिरधारी लाल व्यास ही अपना भाषण देंगे।

(व्यवधान)**

नेत्र (चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1980—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा था और यह निवेदन कर रहा था कि यह बिल हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस देश में जितने अन्धे हैं उतने शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हैं। उन अन्धों को आंख देने का जो यह काम हमारी सरकार ने किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। यह सरकार एक ऐसा बिल लायी है जिसके जरिए से हम जितने अन्धे लोग हैं उनको आंख दिला सकते हैं।...(व्यवधान)

मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी को यह सुझाव है कि यह जो कानून आप यहां के लिए लाए हैं ऐसा कानून सारे देश में लागू होना चाहिए। इसकी आवश्यकता इस बजह से है कि हमारे राजस्थान में अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले कुछ ऐसे अनाड़ी लोगों ने इस प्रकार के कैम्प लगा दिए जिससे आंख वाले लोगों को भी अन्धा कर दिया। ऐसे गलत आपरेशन कर दिए जिससे सैकड़ों आदमी अन्धे हो गये। ऐसे लोगों के लिए कोई कानून तो आपने बनाया नहीं जिसके जरिए उनको पकड़ा जा सके। उनको अब तक पकड़ा नहीं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उनके लिए जो जेल में जगह होनी चाहिए थी उसके बजाय आज भी वह खुले फिर रहे हैं और आपरेशन कर रहे है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो ऐसे गलत लोग हैं जो जानते नहीं, जिन्होंने कोई विद्या पढ़ी नहीं, कोई डाक्टरी पास नहीं की और आपरेशन कर दिया उनके लिए ऐसी व्यवस्था कानून में होनी चाहिए जिससे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके।

इसमें आपने ऐसा प्रावधान किया है कि किसी इंस्टीच्यूशन से सर्टिफिकेट लेकर ही वह आंख निकाल सकेंगे। तो आंखों का आपरेशन करने वाले लोग भी ऐसे ही होने चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हों गवर्नमेंट के द्वारा या जो एजूकेटेड हों, ट्रेन्ड हों, वही लोग जा कर आंख का आपरेशन कर सकते हैं।

जितने अन्धे इस देश के अन्दर हैं जिनकी व्यवस्था आप करना चाहते हैं, जिन को नेत्र देना चाहते हैं उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके उसके लिए इस प्रकार का प्रावधान बहुत आवश्यक है। आपने देखा कि चार-चार पांच-पांच जगह हमारे राजस्थान में इस प्रकार के कैम्प लगे और आपके सरकारी अस्पतालों में कैम्प लगे, उसको आप नहीं रोक पाए। ऐसे अनाड़ी आदमियों ने सैकड़ों आदमियों को अन्धा कर दिया और इस प्रकार के लोग आज भी खुले फिर

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।